नेशनल बैकवर्ड क्लासेज़ फाइनेन्स एण्ड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन

एन.बी.सी.एफ.डी.सी. योजना के अंतर्गत समूहों का तकनीकी उन्नतीकरण

1. **परिचय**

लक्षित वर्ग की आर्थिक स्थिति के उत्थान हेतु NBCFDC प्रतिबद्ध है। इसे प्राप्त करने के लिए यह महसूस किया गया कि पिछड़े वर्गों के समूह सदस्यों की उत्पादन इकाईयों के समुचित एवं प्रभावी प्रबंधन हेतु उनके तकनीकी एवं उद्यमीय कौशल के उन्नतीकरण के माध्यम से हस्तक्षेप कर सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता है।

अब-तक निगम अपने लक्षित वर्गों को राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों/बैंकों के माध्यम से रियायती ब्याज दर पर वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने से जुड़ा हुआ है। इसके अतिरिक्त, निगम अपने लक्षित वर्ग को कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निर्धारित सामान्य मानकों के अनुसार सेक्टर स्किल काउंसिलों एवं सरकारी प्रशिक्षण संस्थानों के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण भी उपलब्ध करा रहा है। निगम लक्षित वर्ग के दस्तकारों को देश के अग्रणी मेलों जैसे भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला, सूरजकुण्ड अंतर्राष्ट्रीय मेला, दिल्ली हाट इत्यादि में भाग लेने हेतु मार्केटिंग की सुविधा उपलब्ध कराता है।

हाल ही में, निगम पूरे देश में हस्तशिल्प एवं हथकरघा के समूहों के विकास कार्य के लिए उपायुक्त (हस्तशिल्प) एवं उपायुक्त (हथकरघा) की परियोजना क्रियान्वयन एजेंसी के रूप में जुड़ा है, जो इस संबंध में विभिन्न हस्तक्षेपों को अनुमति दे रहा है।

उपरोक्त के अलावा, यह विचार किया गया कि NBCFDC द्वारा यदि कुछ सीधे हस्तक्षेप किए गए तो इन समूहों के विकास एवं क्षमताओं को गति मिलेगी; जैसा कि NBCFDC/चैनल सहभागियों द्वारा चिन्हित किए गए समान समूहों की आर्थिक स्थिति में उत्थान हुआ है। इसमें सम्मिलित हैः

1. तकनीकि का उन्नतीकरण;
2. क्षमता में उन्नति;
3. उद्यमीय विकास एवं अन्य विशेषीकृत प्रशिक्षण (इसके अंतर्गत, लाभार्थियों को प्रतिष्ठित केंद्रों/राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थानों द्वारा मानक एवं विशिष्ट रूप से निर्मित प्रशिक्षण उपलब्ध कराए जाएंगे)।

2. उद्देश्यः योजना के उद्देश्यों में सम्मिलित हैः-

2.1 लक्षित वर्गों के चिन्हित समूहों एवं/अथवा NBCFDC द्वारा विकसित सदस्यों को तकनीकी उन्नतीकरण उपलब्ध कराना।

2.2 लक्षित समूहों द्वारा उत्पादित/दी जाने वाली सेवाओं के उत्पादों की गुणवत्ता एवं उत्पादकता को सुधारने हेतु सक्षम बनाना।

2.3 लक्षित समूह को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में प्रतिस्पर्धा का सामना करने हेतु सक्षम बनाना।

3. कार्यक्षेत्र

3.1 वर्तमान इकाईयों के आधुनिकीकरण/विस्तार के लिए एवं नई इकाईयों की स्थापना के लिए योजना वस्त्र, कालीन, मिट्टी के बर्तन, जूट, बांस, केन एवं इस प्रकार अन्य कुटीर एवं लघु उद्यमों के बेंचमार्क स्तर के साथ उपलब्ध होगी। इसके अतिरिक्त, दस्तकार तकनीकी संस्थानों एवं विशेषज्ञों की सहायता से गुणवत्ता एवं उत्पादकता में सुधार के लिए नए उपकरण विकसित कर सकेंगे।

3.2 चिन्हित समूहों का भारत सरकार की किन्हीं अन्य योजनाओं के साथ उपलब्ध कराई गई योजना का अतिव्यापन नहीं किया जाएगा।

4. कार्यान्वयन एजेंसी के लिए योग्यता मापदण्ड

निगम द्वारा राज्य चैनेलाइजिंग एजेंसियों व अन्य सहभागियों जो भारत सरकार/राज्य सरकार के अधीन लक्षित वर्ग के समूह विकास हेतु सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए कार्य कर रही हैं; योग्य के आधार पर छांटी गईं/चयनित की गई सरकारी एजेंसियों के माध्यम से योजना का क्रियान्वयन किया जाएगा।

5. लक्षित वर्ग हेतु योग्यता मापदण्डः

अन्य पिछड़ा वर्ग के व्यक्तियों जो निम्न अपेक्षाओं को पूरा करते हैं, निगम की वित्तीयन एवं कौशल योजनाओं का लाभ उठाने के लिए अधिकार प्राप्त हैं; हस्तक्षेप उपलब्ध कराया जा सकता है।

5.1 वह NBCFDC/चैनल सहभागी द्वारा विकसित समूह का सदस्य होना चाहिए।

5.2 वह जैसा कि केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित पिछड़े वर्ग का होना चाहिए।

5.3 ग्रामीण क्षेत्रों में उसकी वार्षिक पारिवारिक आय रू. 98,000/- एवं शहरी क्षेत्रों में रू. 1,20,000/- से कम होनी चाहिए।

5.4 लक्षित वर्ग के कम से कम 75% व्यक्तियों एवं शेष अन्य समाज के कमजोर वर्गों से बने स्वयं सहायता समूह होने चाहिए।

6. सहायता की मात्रा

समूह विकास के लिए NBCFDC निम्नानुसार वित्तीय सहायता उपलब्ध कराएगाः

(क) मशीनरी/उपस्कर सहित तकनीकि उन्नतीकरण हेतु औज़ार एवं /अथवा क्षमता संवर्द्धन के प्रबंधन हेतु प्रति लाभार्थी रू. 30,000/- धनराशि की उपलब्धता एवं परियोजना इत्यादि की निरंतरता की दशा में।
(ख) उद्यमीय विकास एवं अन्य विशिष्टीकृत प्रशिक्षण के लिए प्रति लाभार्थी रू. 30,000/- तक।
(ग) सामान्य अवसंरचना/विपणन संयोजन इत्यादि की स्थापना हेतु स्वयं सहायता समूहों (कम से कम 10 सदस्यों के साथ) के लिए रू. 6 लाख तक।

7. वित्तीयन की पद्धति

क) 6 (क) के मामले में 90% NBCFDC द्वारा एवं 10% लाभार्थी द्वारा
ख) 6 (ख) के मामले में 100% NBCFDC द्वारा
ग) 6 (ग) के मामले में 80% NBCFDC द्वारा एवं 20% स्वयं सहायता समूह द्वारा

प्रशासनिक प्रभार, यदि कोई हों, का भुगतान क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा मशीनरी/उपस्कर सहित तकनीकि उन्नतीकरण हेतु औज़ार एवं /अथवा क्षमता संवर्द्धन के प्रबंधन हेतु एक अंग के रूप में किया जाएगा, जैसा कि क्र.सं. 6 (क) में उल्लेख किया गया है परियोजना विकास लागत के अधिकतम 5% की सीमा में किया जाएगा।

6 (क) एवं 6 (ख) के मामले में, जैसा कि परियोजना का निष्पादन क्रियान्वयन एजेंसी द्वारा किया जाना है, प्रशासनिक लागत अलग से लागू नहीं होगी।

8. <u>लैंगिक प्राथमिकताएं :</u>

एजेंसी 40% महिला लाभार्थियों को भौतिक एवं वित्तीय सीमा में आच्छादित करने का प्रयास करेगी।

9. <u>सहायता का लाभ उठाने की प्रक्रियाः</u>

समस्त वित्तीय सहायता क्रियान्वयन एजेंसी को ही उपलब्ध कराई जाएगी। इस योजना के अंतर्गत पात्र एजेंसियों निम्न को जमा करने पर सहायता प्राप्त कर सकती हैः

9.1 परियोजना प्रस्ताव में निम्न को स्पष्ट तौर पर दर्शाया जाएगाः

क) चयनित समूह अथ्वा प्रस्तावित लाभार्थियों की व्यवस्था का जनांकिकी।

ख) वर्तमान पेशे एवं सामना की जाने वाली कठिनाइयाँ।

ग) प्रस्तावित हस्तक्षेप एवं इससे कठिनाइयों से कैसे निकल सकते हैं।

घ) मापन सहित (बिक्री/दस्तकारों की अपेक्षित औसत दैनिक आय) परियोजना के परिणाम।

ड़) परियोजना की निरंतरता हेतु कार्य-योजना।

9.2 समूहों के सदस्यों के तकनीकी उन्नतीकरण एवं क्षमता में संवर्धन के अर्जन के लिए जी.एफ.आर.-17 के मानकों को सुनिश्चित करने वाला एक प्रमाण-पत्र।

9.3 परियोजना के संक्षिप्त वित्तीय अनुमान सहित एजेंसी द्वारा दावा की जाने वाली प्रशासनिक लागत की सीमा।

9.4 इसके अतिरिक्त, संबंधित केंद्रीय सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के अनुसार केंद्रीय/राज्य सरकार के प्रशिक्षण संस्थान जो प्रशिक्षार्थियों के उद्यमिता विकास एवं अन्य विशेष प्रशिक्षण उपलब्ध कराते हैं, सहायता मांग सकते हैं। विशेष रूप से तैयार किए गए पाठ्यक्रमों की स्थिति में कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय के सामान्य मानकों में निर्धारित की गई दरों पर निर्भर रहना होगा।

10. <u>निगरानी समितिः</u>

निम्न अधिकारियों से गठित एक निगरानी समिति बनानी होगीः

क) एजेंसी के परियोजना अधिकारी
ख) संबंधित राज्य की SCA के अधिकारी

ग) क्रियान्वयन एजेंसी के चार्टर्ड एकाउंटेंट अथवा वित्त विभाग के प्रमुख
घ) डी.आई.सी. के अधिकारी
ङ) NBCFDC द्वारा नामिति अधिकारी/परामर्शदाता।

11. NBCFDC द्वारा धनराशि का वितरणः

धनराशि का वितरण 02 किस्तों में किया जाएगा।

11.1 एजेंसी से निम्न कागजातों के प्राप्त होने के बाद पहली किस्त के रूप में 70% धनराशि जारी की जाएगी-

क) लाभार्थियों की व्यक्तिगत सूची और/अथवा समूहों के सदस्यों के साथ स्वयं सहायता समूहों का विवरण (जहां कहीं लागू हो), बैंक खाते का विवरण, कार्यकलापों का विवरण एवं मशीनरी की वर्तमान स्थिति एवं वर्तमान आय।

ख) स्वीकृत पत्र की सेवा-शर्तों की स्वीकृति एवं निगरानी समिति का गठन।

11.2 शेष 30% जारी किया जाएगा-

क) निगरानी समिति द्वारा परियोजना के पूर्ण होने की रिपोर्ट प्रस्तुत करने पर

ख) समस्त धनराशि का उपभोग प्रमाण-पत्र जी.एफ.आर.-12ए परियोजना के पूर्ण होने के तीन माह के भीतर प्रस्तुत करना, जैसा कि समय-समय पर संशोधित किया जाए, जो अपने विवेकाधिकार पर NBCFDC द्वारा बढ़ाया जा सकता है।

12. धनराशि का उपभोगः

12.1 क्रियान्वयन एजेंसी एक ही प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए भारत सरकार अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य मंत्रालय अथवा विभाग से अनुदान राशि नहीं प्राप्त करेगी।

12.2 क्रियान्वयन एजेंसी अनुदान राशि को दूसरे कार्य में नहीं लगाएगी और न ही कार्यक्रम को किसी अन्य के सुपुर्द करेगी जिसके लिए अनुदान राशि किन्हीं अन्य संस्थाओं अथवा संस्थानों को स्वीकृत की जाती है।

12.3 क्रियान्वयन एजेंसी परियोजना पर NBCFDC को तिमाही प्रगति रिपोर्ट भेजेगी (कार्यनिष्पाद-सह-उपलब्धि रिपोर्ट)।

12.4 क्रियान्वयन एजेंसी सरकार के छूट खाते को तैयार करेगी एवं निर्धारित GFR-12A प्रारूप पर प्राधिकृत हस्ताक्षरकर्ता के विधिवत् हस्ताक्षर सहित खाते का अंकेक्षित विवरण तैयार करेगी।

12.5 क्रियान्वयन एजेंसी के खातों को खोलेगी एवं NBCFDC एवं इसके अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा इसका निरीक्षण किया जाएगा।

12.6 सरकारी अनुदान से, NBCFDC की पूर्व स्वीकृति के बिना, पूर्णरूप से अथवा आंशिक रूप से सृजित संपत्तियों का निपटान अथवा भारग्रस्त अथवा उपयोग, उन कार्यों के अतिरिक्त नहीं किया जाएगा जिनके लिए अनुदान स्वीकृति की गई है।

12.7 क्रियान्वयन एजेंसी/स्वयं सहायता समूह के लिए यह आवश्यक है कि वे इस प्रकार की संपत्तियों का एक रजिस्टर तैयार करें एवं वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर निर्धारित प्रारूप GFR पर वार्षिक विवरण NBCFDC को भेजें।

12.8 यदि NBCFDC परियोजना की प्रगति से संतुष्ट नहीं है अथवा विचार करता है कि स्वीकृति की दशाओं का उल्लंघन हो रहा है, NBCFDC द्वारा जारी की गई धनराशि को क्रियान्वयन एजेंसी 10% वार्षिक ब्याज दर पर अथवा भारत सरकार के नियमानुसार संपर्क की तिथि से एक माह के भीतर वापस करने की जिम्मेवार होगी।

13. अ-प्रकटीकरण एवं गोपनीयता:

13.1 NBCFDC की लिखित अनुमति के बिना क्रियान्वयन एजेंसी किसी भी तीसरी पार्टी को समझौते के अंतर्गत उपलब्ध कराई गई वित्तीय सहायता/अनुदान की विशेष सूचना प्रकट नहीं करेगा।

13.2 **NBCFDC की पूर्व लिखित सहमति के बिना**, इसके किसी भी प्रकार के अधिकारों को हस्तांतरित अथवा अंतरित नहीं किया जाएगा और न ही किसी तीसरी पार्टी को इस समझौते के अधीन दायित्व सौंपा जाएगा।

13.3 इस गोपनीयता परिच्छेद को क्रियान्वयन एजेंसी अथवा इसके प्रतिनिधियों द्वारा खण्डित करने की दशा में, NBCFDC को समस्त वित्तीय लाभ अंतरित करने की बाध्यता होगी; क्योंकि इस प्रकार के उल्लंघन से गोपनीय जानकारी का खुलासा / उपयोग करने के परिणामस्वरूप किसी भी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष नुकसान पहुंचा सकता है।

14. विवादों का निस्तारण

क. सौहार्दपूर्ण निस्तारण

पक्षकार समझौते के संबंध में अथवा उसकी विवेचना में उत्पन्न विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से हल करने के लिए अपने प्रयास करेंगे।

ख. विवाद प्रस्ताव

i) पक्षकार समझौते के संबंध में अथवा उसकी विवेचना में उत्पन्न विवादों को सौहार्दपूर्ण रूप से हल करने के लिए तत्परता से, समानरूप से एवं सद्भाव से सहमत हैं एवं इसके अतिरिक्त सामान्य व्यवसाय अवधि में उपयुक्त रूप से एक-दूसरे तक विवादों से संबंधित गैर-विशेषाधिकृत रिकार्ड, सूचना एवं आंकड़ों तक पहुंच बनाने पर सहमत है।

ii) कोई भी किसी प्रकार का विवाद, मतान्तर अथवा वितर्क चाहे जिस प्रकृति का हो, जो इसके तहत अथवा इस समझौते/योजना के संबंध में प्रथम दृष्टया होता है, को सौहार्दपूर्ण तरीके से सूचना के तीस दिनों के भीतर निपटान किया जाएगा। विवाद की नोटिस के कथित अवधि की समाप्ति के उपरान्त बिना किसी लिखित सौहार्दपूर्ण वक्तव्य के, यह माना जाएगा कि यह विवाद सौहार्दपूर्ण तरीके से हल करने योग्य नहीं

है। तथापि, किसी भी समय, दोनों ही पार्टियां कथित 30 दिनों की अवधि को लिखित में आपसी समझौते के आधार पर बढ़ाया जा सकता है।

ग. <u>विवाचन/मध्यस्थता</u>

संरचना, अर्थ, स्कोप, अभियान अथवा इस अनुबंध/योजना के प्रभाव के संबंध में पार्टियों के मध्य कोई भी किसी प्रकार के विवाद अथवा मतान्तर अथवा वैधता अथवा उसको तोड़ने का निस्तारण प्रबंध निदेशक, NBCFDC द्वारा नियुक्त एकमात्र मध्यस्थ द्वारा किया जाएगा। इस प्रकार की मध्यस्थता प्रक्रिया हेतु मध्यस्थता एवं सुलह अधिनियम, 1996 के प्रावधान लागू होंगे। मध्यस्थता की बैठक का स्थान नई दिल्ली होगा।

15. **<u>अप्रत्याशित घटना</u>**

इसके साथ ही साथ, इस समझौते के तहत किसी भी देरी, चूक या गैर-निष्पादन के लिए किसी भी पार्टी को जिम्मेदार नहीं माना जाएगा कि इस तरह के देरी, चूक या गैर-निष्पादन पार्टी के उचित नियंत्रण से परे किसी भी घटना या परिस्थिति में होगा अथवा पार्टी के उपयुक्त नियंत्रण के बाहर परिस्थितियों सहित, किन्तु दैवीय कार्य, तीसरे पक्ष द्वारा अपराधिक कार्य, श्रमिकों की हड़ताल, तालाबंदी अथवा श्रमिकों की अन्य कठिनाईयां, जन हंगामा, संप्रभु राज्यों के कार्य अथवा चूक, आग, अपरिहार्य दुर्घटनाएं, मौसम की गंभीर विपरीत स्थितियां अथवा युद्ध (चाहे घोषित हों या न हों) सीमित नहीं होंगे।

ऐसी घटनाएं, सेवाओं के अप्रत्याशित घटनाओं के कारण सतत् विलंब की दशा में इसे तीन माह अथवा 90 दिनों तक जो भी पहले हो बढ़ाई जा सकती हैं, इसके पश्चात प्रत्येक पार्टी को समझौते को निरस्त करने का अधिकार होगा।

16. **<u>गहन निगरानी एवं मूल्यांकन</u>**

नामित क्लस्टर प्रबंधक और/अथवा SCA के अधिकारी, NBCFDC के अधिकारी अथवा NBCFDC द्वारा नामित स्वतंत्र एजेंसी के माध्यम से 5 वर्षों तक एजेंसी द्वारा गहन निगरानी की आवश्यक होगी।

यह योजना समूहों के सदस्यों को उनके उत्पादों की गुणवत्ता में सुधार एवं गुणवत्ता और/अथवा उत्पादों एवं सेवाओं की क्षमता को घरेलू एवं अंतर्राष्ट्रीय बाजार में प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए तेजी प्रदान कर योग्य बनाना है।